न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 64/2019/प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 17.07.2019	तारीख फैसला 05.09.2019

उनवान

1– उगमा पिता हमीरा चमार नि0 कोठियॉ तहसील फूलियाकलां
2– रामस्वरूप पिता हमीरा चमार नि0 कोठियॉ तहसील फूलियाकलां
– प्रार्थीगण

बनाम

1– गोपाल पिता लादू खटीक नि0 कोठियॉ तह0 फूलियाकलां
2– दयाराम पिता छोगा बैरवा नि0 कोठियॉ तह0 फूलियाकलां
– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम कोठियॉ पटवार हल्का कोठियॉ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 68 आ0न0 4586/2498 रकबा 0.37 कुल किता 01 रकबा 0.37 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 2 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 आ0न0 4586/2498 रकबा 0.37 है0 की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सम्मन बाद

तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के विरूद्व दिनांक 05.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम कोठियॉ पटवार हल्का कोठियॉ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 68 आ0न0 4586/2498 रकबा 0.37 कुल किता 01 रकबा 0.37 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण 1 लगायत 2 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठियॉ पटवार हल्का कोठियॉ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 68 आ0न0 4586/2498 रकबा 0.37 कुल किता 01 रकबा 0.37 है0 की प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 200/– (अक्षरे दो सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलियाकलां जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :— तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एव
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ जिला—भीलवाड़ा